

पुछताछ संख्या: प्रशासन/सामान्य/स्टोर/2023-24./एम्स.जेडीएच/03(8)iii

## अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर

में सीसीयू में कर्टेन हैंगर फ्रेम की मरम्मत के लिए

### कोटेशन का आमंत्रण

पुछताछ संख्या : प्रशासन/सामान्य/स्टोर/2023-24/एम्स.जेडीएच/03(8)iii  
पुछताछ जारी करने की तिथि : 25 जुलाई, 2023  
जमा करने की अंतिम तिथि : 02 अगस्त, 2023 अपराह्न 03.00 बजे ।



## अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर

बासनी फेज - II, जोधपुर -342005, राजस्थान

टेलीफैक्स :0291-2740741, ईमेल: [procurement@aiimsjodhpur.edu.in](mailto:procurement@aiimsjodhpur.edu.in)

[www.aiimsjodhpur.edu.in](http://www.aiimsjodhpur.edu.in)

**सीसीयू में कर्टेन हैंगर फ्रेम की मरम्मत के लिए कोटेशन का आमंत्रण एम्स जोधपुर**

निदेशक, एम्स जोधपुर की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। सीसीयू में कर्टेन हैंगर फ्रेम की मरम्मत के लिए नियम एंव भार्ती एम्स जोधपुर द्वारा निम्नलिखित रखी गई हैं। सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूर्ण रूप से भरे हुए कोटेशन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 02.08.2023 को अपराह्न 03.00 बजे या उससे पहले जमा हो जाने चाहिए। कोटेशन को उचित लिफाफों में सीलबंद कर उसके ऊपर निम्नानुसार लिखा जाए— " सीसीयू में कर्टेन हैंगर फ्रेम की मरम्मत के लिए कोटेशन "

**पुछताछ संख्या: प्रशासन/सामान्य/स्टोर/2023.24/एम्स.जेडीएच/03(8)iii 02.08.2023**  
**को अपराह्न 03.00 बजे**

**1. नियम और शर्तें:-**

- (क) निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले कोटेशनों पर किसी भी तरह का विचार नहीं किया जायेगा। चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी रही हो। डाक या किसी भी प्रकार का विलंब के मामले में संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा तथा किसी भी प्रकार के फैक्स / ईमेल पर विचार नहीं किया जायेगा। कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।
- (ख) कोटेशन फर्म के लेटर हेड पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में स्वामित्व/निदेशक हस्ताक्षरित होने चाहिए। सहभागी मामलों में निदेशक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कोटेशन पर विधिवत हस्ताक्षर करने का प्रधिकरण पत्र होना चाहिए। पूर्णरूप से भरे हुए कोटेशन निर्धारित कोटेशन बॉक्स में जो कि एम्स के प्रशासनिक कार्यालय में स्थित हैं वहा छोड़ा जाना अनिवार्य हैं।
- (ग) सीसीयू में कर्टेन हैंगर फ्रेम की मरम्मत की दरों को भारतीय रुपये में कर सहित उद्धृत किया जाए तथा किसी भी प्रकार का निर्दिष्ट करों के अतिरिक्त कोई कर हो तो अलग से लिखा जाए।
- (घ) सीसीयू में कर्टेन हैंगर फ्रेम की मरम्मत की दरों में मरम्मत में लगने वाले सामान की लागत भी सम्मिलित होनी चाहिए।
- (ङ) सीसीयू में कर्टेन हैंगर फ्रेम की मरम्मत की दरों में किसी प्रकार की ओवरराइटिंग या कॉट-छॉट(कटिंग) की अनुमति नहीं होगी। यदि पाया जाता है तो कोटेशन को रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का विचार नहीं होगा।
- (च) सीसीयू में कर्टेन हैंगर फ्रेम की मरम्मत की दरें कोटेशन खोलने की तारीख से 60 दिनों के लिए वैध होनी चाहिए। इस मुद्दे पर किसी भी निविदा के उद्घरण और चुप्पी को इसके साथ सहमति के रूप में माना जाएगा।
- (छ) एल-1 बनना किसी भी आपूर्ति आदेश पाने का मानदंड नहीं होगा जब तक दरें वाजिब(रिजनेबल) तथा उचित(जस्टीफाइड) न हो।
- (ज) आपूर्तिकर्ता/फर्म/एजेंसी को आटीजीएस/एनईएफटी का विवरण आपूर्तिकता के लेटर हेड पर उद्घरण के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक/अनिवार्य हैं।
- (झ) फर्म/एजेंसी को निम्नलिखित शर्तें पूरा करने का स्व-सत्यापित प्रति उद्घरण के साथ संलग्न प्रस्तुत करना है—

:- फर्म/एजेंसी राजस्थान सरकार/भारत सरकार के साथ पंजीकृत होना।

:- फर्म/एजेंसी के पास वैध जीएसटी/अन्य कर और पैन कार्ड का होना।

:- फर्म/एजेंसी को किसी भी सरकार ब्लैक लिस्टेड(अवैध) नहीं किया गया।

- (ज) अस्पष्ट और अनिश्चित अभिव्यक्तियों द्वारा योग्य उद्घरण जैसे " पूर्व के अधीन" पुष्टिकरण" तत्काल स्वीकृति के अधीन" आदि को अस्पष्ट प्रस्तावों के रूप में माना जायेगा तथा कोटेशन को खारिज कर दिया जायेगा। किसी भी सशर्त को तुरन्त प्रभाव से खारिज कर दिया जायेगा।
- (ट) सीसीयू में कर्टेन हैंगर फ्रेम की मरम्मत का कार्य आपूर्ति आदेश जारी करने के 7 दिन के अन्दर करना अनिवार्य हैं।
- (ठ) परिसमापन क्षति:- यदि मरम्मतकर्ता निर्धारित समय में मरम्मत करने में विफल रहता हैं तो प्रति सप्ताह 0.5 प्रतिशत की दर से या आपूर्ति आदेश मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया जायेगा।
- (ड) भुगतान शर्तें :- संतोषजनक मरम्मत के बाद एम्स जोधपुर द्वारा निरीक्षण करने के बाद भुगतान किया जायेगा।
- (ढ) विवाद :- फर्म/एजेंसी के ठेकेदारों और एम्स जोधपुर या एम्स का कोई विभाग के बीच किसी भी प्रकार का विवाद याशर्तों की व्याख्या के संबंध में असहमति उत्पन्न होने की स्थिति में जॉच निदेशक एम्स जोधपुर को संदर्भित की जाएगी। एम्स जोधपुर का निर्णय फर्म/एजेंसी के ठेकेदारों के लिए बाध्यकारी होगा।
- (ण) एम्स जोधपुर किसी भी उद्घरण या भाग या संपूर्ण आमंत्रण बिना कोई कारण बताए कोटेशन प्रक्रिया अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं।

## 2. नियम और शर्तें :-

1. बोलीदाता को अनुबंध 1 में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार मरम्मत का उद्घरण देना होगा।
2. मरम्मतकर्ता को सीसीयू में कर्टेन हैंगर फ्रेम का भौतिक रूप से देखने के बाद मरम्मत कार्य जिसमे रख-रखाव संबंधित सम्पूर्ण कार्य व नई सामग्री जो भी उपयोग में लिया जायेगा समस्त खर्च मरम्मतकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा एवं मरम्मत कार्य का अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
3. सबसे कम दर प्रस्तुत करने वाली फर्म का निर्णय समिति द्वारा समग्र आधार पर किया जायेगा। जो कि अंतिम निर्णय होगा।

उप-निदेशक(प्रशासन  
)

संलग्न:- अनुलग्न: 1. विनिर्देश अनुबंध  
2. मूल्य बोली का प्रारूप

अनुलग्न: 1. विनिर्देश अनुबंध

क्र. सं.	सामान का विवरण	मरम्मत किये जाने वाले सामान की मात्रा	विशेष विवरण
01	सीसीयू में कर्टेन हैंगर फ्रेम की मरम्मत	10 संख्या	मरम्मत की दरों में मरम्मत में लगने वाले सामान की लागत भी सम्मिलित होनी चाहिए

' सीसीयू में कर्टेन हैंगर फ्रेम की मरम्मत किये जाने वाले सामान को दिनांक 26/27/28/07.2023 को 10.00 बजे से 04.00 बजे तक देखा जा सकता है।

फर्म के लेटर हेड पर

अनुलग्न: 2

मूल्य बोली प्रपत्र

सेवामें,

श्री मान उप-निदेशक (प्रशासन)

एम्स जोधपुर।

मान्यवर जी,

1. मैने/हमने..... सीसीयू में कर्टेन हैंगर फ्रेम की मरम्मत के लिए कोटेशन का आमंत्रण के लिए उद्घरण प्रस्तुत किया। सीसीयू में कर्टेन हैंगर फ्रेम की मरम्मत के लिए कोटेशन का आमंत्रण प्रशासन/सामान्य/स्टोर/2023-24/एम्स.जेडीएच/03(8)iii जमा करने की अंतिम तिथि 02.08.2023 अपराह्न 03.00 बजे प्रस्तुत किया।
2. मैने/हमने सीसीयू में कर्टेन हैंगर फ्रेम की मरम्मत के लिए कोटेशन का आमंत्रण के नियमों और शर्तों की पूरी जांच करके समझा/स्वीकार कर लिया है तथा दस्तावेजों के अभाव में मेरा उद्घरण अस्वीकार कर दिया जाए।
3. मैं/हमारे द्वारा निम्नलिखित दरों पर आपूर्ति करने की पेशकश करते हैं।

क्र. सं.	सामान का विवरण	मरम्मत किये जाने वाले सामान की मात्रा	दर बिना जीएसटी	जीएसटी कर	जीएसटी सहित दर	कुल राशि	एमआरपी
01	सीसीयू में कर्टेन हैंगर फ्रेम की मरम्मत	10 संख्या					

नोट:- बोलीदाता को फर्म के पत्र पर उपरोक्त प्रारूप में अपना कोटेशन उद्धृत करना है अन्यथा कोटेशन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

दिनांक.....नाम.....

स्थान.....

फर्म/एजेंसी का नाम.....

जीएसटीआईएन नंबर.....

बैंक का नाम.....

बैंक खाता नम्बर.....

आईएफएससी कोड.....

शाखा का नाम.....

फोन नंबर.....

ईमेल.....

(अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

सील(स्टाम्प).....